



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 20/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुकम कीतामिल में जारी हुए
29.5.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही उपस्थित। प्रतिवादी लक्ष्मण देवासी उर्फ लसमाराम पुत्र शंकरलाल देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म मां नन्दिनी रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 62 जनापुर चौराहा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही उपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.3.2023 को फर्म मां नन्दिनी रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 62 जनापुर चौराहा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता लक्ष्मण देवासी उर्फ लसमाराम पुत्र शंकरलाल देवासी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Packaged Drinking Water (Aqua feel) का नमूना संख्या S-2021 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./695/Act/2023/738 दिनांक 01.4.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 29.5.2024 को प्रतिवादी ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव व प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया। जबकि प्रतिवादी ने यह व्यक्त किया कि होटल को किराये पर चलाने हेतु ली हुई है एवं प्रतिवादी होटल में नौकरी करता है। उक्त पानी की बोतलें दूसरी फर्म से पैकिंग अवस्था क्रय की गई थी व पैकिंग अवस्था में विक्रय की गई है, जिसके क्रय का बिल मेरे पास नहीं है, इसलिये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही द्वारा दिनांक 16.3.2023 को फर्म मां नन्दिनी रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 62, जनापुर चौराहा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही में खाद्य पदार्थों के निरीक्षण</p> <p style="text-align: right;">.....लगातार</p>	





 प्रा. मिसा बबिन
 सिरौही-307001


सिरौही-307001
 307001-307001



<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 20/2024</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इ हुकम कीतामिल में जारी हुए</p>
	<p>के दौरान प्रतिवादी विक्रेता लक्ष्मण देवासी उर्फ लसमाराम पुत्र शंकरलाल देवासी से फर्म मां नन्दिनी रेस्टोरेन्ट के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Packaged Drinking Water (Aqua feel) के 500 लीटर के पैकड कार्टून में से Packaged Drinking Water (Aqua feel) की 16 पैकड बोतलें (प्रत्येक एक लीटर) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय की गई एवं खरीदशुदा Packaged Drinking Water (Aqua feel) की 16 पैकड बोतलों के 4 पैकेट बनाकर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता लक्ष्मण देवासी उर्फ लसमाराम व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को Packaged Drinking Water (Aqua feel) के प्रत्येक नमूना पैकेट पर नियमानुसार चिपकाया। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ Packaged Drinking Water (Aqua feel) के चारों नमूना पैकेटों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता लक्ष्मण देवासी उर्फ लसमाराम व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 20.3.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 16.3.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मां नन्दिनी रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 62 जनापुर चौराहा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता लक्ष्मण देवासी उर्फ लसमाराम</p> <p style="text-align: right;">.....लगातार</p>	




 नति. जिला मजिस्ट्रेट
 सिरोही-307001

<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 20/2024</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इ हुकम कीतामिल में जारी हुए</p>
	<p>पुत्र शंकरलाल देवासी से खाद्य पदार्थ Packaged Drinking Water (Aqua feel) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोट द्वारा फर्म मां नन्दिनी रेस्टोरेन्ट में प्रतिवादी लक्ष्मण देवासी उर्फ लसमाराम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये Packaged Drinking Water (Aqua feel) के नमूना संख्या S-2021 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./695/Act/2023/738 दिनांक 01.4.2023 में Packaged Drinking Water (Aqua feel) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रकरण की अनुसंधान के दौरान प्रतिवादी लक्ष्मण देवासी उर्फ लसमाराम ने Packaged Drinking Water (Aqua feel) के क्रय का बिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) Packaged Drinking Water (Aqua feel) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) Packaged Drinking Water (Aqua feel) के विक्रय हेतु प्रतिवादी लक्ष्मण देवासी उर्फ लसमाराम पुत्र शंकरलाल देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म मां नन्दिनी रेस्टोरेन्ट, उन.एच. 62, जनापुर चौराहा, तहसील- पिण्डवाडा पर राशि रुपये 40,000/- (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी लक्ष्मण देवासी उर्फ लसमाराम को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 03.7..2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(डॉ. दिनेश राय सापेला) नति. जिला मजिस्ट्रेट सिरौही-397001</p>	